**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.07.2025**

**स्वाट टीम अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10/11.08.2024 की रात्रि में थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत जयपुरिया मॉल के सामने स्थित घडियों के शोरुम "साई क्रिएशन" का शटर तोड़कर शोरुम में रखी कीमती घडियों की चोरी करने वाले 50 हजार रुपये के इनामी वाँछित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू व साई क्रिएशन शोरुम से चोरी की गई 01 घड़ी बरामद ।**

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरणः- थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे हुई चोरी की घटनाओ के अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 10.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्वाट टीम अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को प्राप्त मुखबिर खास की सूचना पर हिण्डन बैराज से कनावनी पुलिया के पास तीन अपराधियों की मौजूदगी से सम्बन्धित सूचना पर स्वाट टीम अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में हिण्डन बैराज से कनावनी पुलिया की तरफ आने वाले रास्ते पर चोरी करने की योजना की नियत से खडे तीन व्यक्तियों की सूचना के सम्बन्ध में मौके पर जाकर आपस में बात कर रहे तीनों व्यक्तियों की बातों को सुना तो तीनों व्यक्ति इन्दिरापुरम क्षेत्र में किसी बडे शोरूम में चोरी करने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम ने तीनों व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली आपराधिक घटना को रोकने की नियत से घेर-घोटकर पकड़ने का प्रयास किया। खुद को पुलिस से घिरता देख बचने की नियत से दो व्यक्तियों ने तमंचे निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर सीधा फायर किया। जिससे मौजूद पुलिस कर्मी बाल-बाल बचे। अभियुक्तगण पुनः तमंचे को लोड करने का प्रयास करने लगे तो उक्त व्यक्तियों को दूसरे फायर करने का मौका न देते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। जिसमें दो अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गये और इनमें से तीसरा बदमाश खुद को बचाते हुए भागने लगा। घायल दोनों बदमाशों को हिण्डन बैराज से कनावनी पुलिया को आने वाले रास्ते पर हिण्डन बैराज की तरफ से पकड़ लिया तथा भाग रहे तीसरे अभियुक्त को घटनास्थल के पास मौके से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार पहले घायल अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र पशुपति प्रसाद निवासी वार्ड न0- 05 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार उम्र 37 वर्ष व दूसरे घायल अभियुक्त सिराज मियां पुत्र जिकुरला मियां निवासी वार्ड न0- 01 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार उम्र 47 वर्ष के पैर में गोली लगी है। जिनके कब्जे से 02 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 01 घड़ी बरामद हुई है तथा तीसरे अभियुक्त करन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद जयसवाल निवासी वार्ड न0-05 जोडा मन्दिर के पास कस्वा व थाना घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उपरोक्त जो थाना इन्दिरापुरम से चोरी के अभियोग में वाँछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों अपने अन्य साथियों के साथ दुकानों के शटर तोड़कर बड़े-बड़े घडियों/मोबाइल फोन के शो-रुम में चोरी करते है व चोरी किये हुये माल की खरीद-फरोख्त करते है। हम लोगों का एक सगठित गिरोह है। आज हम फिर से इन्दिरापुरम क्षेत्र में रेकी कर चोरी की घटना को करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-**

- दीपक कुमार पुत्र पशुपति प्रसाद निवासी वार्ड न0- 05 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार उम्र करीब 37 वर्ष।
- सिराज मिया पुत्र जिकुरला मियां निवासी वार्ड न0- 01 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार उम्र करीब 47 वर्ष।
- करन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद जयसवाल निवासी वार्ड न0- 05 जोडा मन्दिर के पास कस्वा व थाना घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतीहारी बिहार उम्र करीब 26 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

- 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू व साई क्रिएशन शोरुम से चोरी की गई 01 घड़ी बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार व अभियुक्त सिराज मियां के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

स्वाट टीम अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

**स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा इंश्योरेन्स पॉलिसी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर आर्थिक अपराध करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 01 मैजिक पेन, 04 फर्जी आईडी कार्ड व 04 लाख रुपये नगद बरामद।**

दिनांक 05.02.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री महेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी 306 सेक्टर 14 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर गाडी का इंश्योरेन्स पॉलिसी कराने के नाम पर वादी से ब्लैंक चैक ले लेना व वादी के खाते से चैक के माध्यम से कुल 3 लाख 10 हजार रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लेने के सम्बन्ध में धारा 318(4),316(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना के क्रम में दिनांक 10.07.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी कर आर्थिक अपराध करने वाले 02 अभियुक्त 1. बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ए 304 मजलिस पार्क दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष व 2. अरीब हसन पुत्र जमील हसन निवासी गली न0- 01 कबीर नगर गोकलपुरी नोर्थ दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को सेक्टर 14 वसुन्धरा से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 01 मैजिक पेन, 04 फर्जी आईडी कार्ड व 04 लाख रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर

सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र व अरीब हसन पुत्र जमील हसन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र व अरीब हसन पुत्र जमील हसन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त इंटरनेट के माध्यम जिन वाहनों की वारन्टी समाप्त होने वाली होती है। उनका डाटा प्राप्त कर उनके वाहन स्वामियों को मोबाइल फोन से सम्पर्क कर वाहनों की वारन्टी समय बढाने के नाम पर विश्वास में लेकर धोखाधड़ी से चैक के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के लिये बताते है व मोबाइल फोन पर अपना नाम गलत बताते है। जब वाहन स्वामी तैयार हो जाते है तो दोनों अभियुक्त ऑफिस व घरों पर जाकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर अपने फ्रिक्शन पैन (मैजिक पैन) की मदद से वाहन स्वामी से चैक में छोटी धनराशि भरवाकर हस्ताक्षर करवा लेते है और उसके बाद लाइटर की मदद से चैक में भरी धनराशि को मिटाकर अपनी मर्जी से अधिक धनराशि भरकर चैक को बैंक में जमा कर भुगतान प्राप्त कर लेते है। इसी प्रकार से 6 माह पहले वसुन्धरा सेक्टर 14 में रहने वाले अशोक अग्रवाल से चैक प्राप्त कर बैंक से ज्यादा धनराशि भरकर भुगतान ले लिया था। इसी प्रकार दोनों अभियुक्तों ने कुछ समय पहले कविनगर की रहने वाली एक महिला से भी धोखाधड़ी करके कम धनराशि का चैक लेकर अपने मैजिक पेन से चैक पर लिखी धनराशि मिटाकर अपनी मर्जी से 01 लाख रुपये की धनराशि भरकर यश बैंक वैशाली से भुगतान प्राप्त किया था। दोनों अभियुक्तों का कोई ऑफिस नही है ना ही इस काम को अपने घर पर करते है, दिन में कही भी पार्क आदि में बैठकर लोगों को अपने झासे में लेकर धोखाधड़ी करते है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ए 304 मजलिस पार्क दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।
2. अरीब हसन पुत्र जमील हसन निवासी गली न0- 01 कबीर नगर गोकलपुरी नोर्थ दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-**

- गिरफ्तार अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ अंकित पुत्र सुरेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम व थाना कौशाम्बी पर 01-01 अभियोग व फरीदाबाद व दिल्ली में 04 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- अरीब हसन पुत्र जमील हसन उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी से सम्बन्धित थाना इन्दिरापुरम व थाना कौशाम्बी पर 01-01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण:-**

- घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, 01 मैजिक पेन, 04 फर्जी आईडी कार्ड व 04 लाख रुपये नगद बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

## श्रावण माह के प्रथम सोमवार के अवसर पर दूधेश्वरनाथ मंदिर पर यातायात डायवर्जन

**दिनांक 13.07.2025 समय रात्रि 22.00 बजे से दिनांक 14.07.2025 समाप्ति तक**

- चौधरी मोड़ की ओर से हापुड़ तिराहा/मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को घण्टाघर फ्लाईओवर के उपर से उनके गंतव्य को भेजा जायेगा। घण्टाघर फ्लाईओवर से नीचे जस्सीपुरा/हापुड़ तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- इसी प्रकार हापुड़ तिराहा से आगे जस्सीपुरा/घंटाघर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- विजयनगर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन गौशाला फाटक, चौकी बैरियर से आगे दूधेश्वरनाथ मन्दिर की ओर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

**जलाभिषेक हेतु आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था**

- दूधेश्वरनाथ मन्दिर पर चौधरी मोड़ की ओर से जलाभिषेक हेतु आने वाले ऋद्धालु अपने वाहनों को रामलीला मैदान में पार्क करेंगे एवं जलाभिषेक हेतु मन्दिर तक पैदल जायेंगे।
- दूधेश्वरनाथ मन्दिर पर विजयनगर की ओर से जलाभिषेक हेतु आने वाले ऋद्धालु अपने वाहनों को मिलिट्री ग्राउण्ड (विजयनगर) में पार्क करेंगे एवं जलाभिषेक हेतु मन्दिर तक पैदल जायेंगे।
- दूधेश्वरनाथ मन्दिर पर हापुड़ चुंगी एवं पुराना बस अड्डा की ओर से जलाभिषेक हेतु आने वाले ऋद्धालु अपने वाहनों को नवयुग मार्केट के मार्ग पर पार्क करेंगे एवं जलाभिषेक हेतु मन्दिर तक पैदल जायेंगे।

**किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें।**

**सुरक्षित रहें - सुरक्षित चलें**

**महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर :-**

- यातायात नियंत्रण कक्ष - 9643322904
- यातायात निरीक्षक प्रथम, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे/शहर क्षेत्र - 7398000808
- यातायात निरीक्षक द्वितीय, मेरठ रोड/शहर क्षेत्र- 8707676770

**अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात**
**कमिश्नरेट-गाजियाबाद।**

**थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**

आज दिनांक 11.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त 1.अमन पुत्र आलम निवासी एच ब्लाक सेक्टर 11 प्रताप विहार

थाना विजयनगर गाजियाबाद 2. शाहिद पुत्र मकसूद निवासी फ्लैट नम्बर 13 दसवी मंजिल सैक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 3.फरदीन पुत्र तसलीम निवासी मिर्जा गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 4.आसिम पुत्र स्व0 शमशाद निवासी मिर्जा गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को अशोक विहार व थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने आपस में मिलकर अपना एक गिरोह बना रखा है। हमारे गैग का लीडर अमन पुत्र आलम निवासी एच ब्लाक सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद है। हम सब ने मिलकर घरो मे चोरी व वाहन चोरी जैसी घटना व अपराध कारित किये हैं। हम सब पूर्व में भी कई बार एक साथ जेल जा चुके हैं, हमारे ऊपर पूर्व में कई मुकदमे चल रहे हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1.अमन पुत्र आलम निवासी एच ब्लाक सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
2.शाहिद पुत्र मकसूद निवासी फ्लैट नम्बर 13 दसवी मंजिल सैक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
3.फरदीन पुत्र तसलीम निवासी मिर्जा गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
4.आसिम पुत्र स्व0 शमशाद निवासी मिर्जा गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी, वाहन चोरी, घर में चोरी व चोरी का माल बरामदगी व गैंगस्टर एक्ट के कुल 03 अभियोग व थाना टीला मोड पर घर में चोरी का 01 अभियोग, कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।

**क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अन्तर्राज्यीय चादर गैंग (घोडासहन बिहार) के 50 हजार रूपये के ईनामी / वाँछित अपराधी सहित 03 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की इण्टरनेशनल ब्राण्डेड घडी व नाजायज असलहे बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांकः 10/11-08-2024 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में अज्ञात चोरों के गिरोह द्वारा साँई क्रिएशन शोरूम के शटर के आगे चादर लगाकर शोरूम का शटर उखाडकर विभिन्न इण्टरनेशनल ब्राण्ड की घडियों की चोरी की सनसनीखेज घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। जिसका क्राईम ब्रान्च द्वारा सफल अनावरण करते हुए दिनाँक-29/08/2024 को चादर गैंग घोडासहन बिहार के मुख्य अभियुक्तों संतोष जायसवाल व रोहित पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 46 लाख 36 हजार रूपये की कीमत की विभिन्न कम्पनियों की इण्टरनेशनल ब्राण्ड की घडियाँ बरामद करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की थी। इस गिरोह के अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त क्रम में दिनाँक-26/02/2025 को स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त घटना मे वाँछित / ईनामी चादर गैंग घोडासहन के 01 शातिर अभियुक्त दीपक कुमार व उसके 02 साथियों सिराज व करण को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र हिण्डन बैराज से कनावनी पुलिया की तरफ आने वाले रास्ते पर बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी, मुठभेड के दौरान अभियुक्त दीपक कुमार व

सिराज पैर मे गोली लगने से घायल हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार की गिरफ्तारी पर 50,000/- रूपये का पुरूस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त शोरूम से चोरी की एक अदद इण्टरनेशनल ब्राण्ड MOVADO BOLD घडी कीमत करीब 74 हजार रूपये व 02 अदद तमंचे मय कारतूस व नाजायज चाकू बरामद हुए।

**<u>पूछताछ का विवरण</u>** – गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार, सिराज मियाँ व करण ने पूछताछ पर बताया कि इनका बडे-बडे मोबाईल व घडियों के शोरूम के सामने चादर लगाकर उनका शटर उखाडकर मोबाईल व घडियाँ चोरी करने वाले चोरो का एक संगठित गिरोह है जो पूरे देश में घूम-घूम कर अलग-अलग राज्यों में बडी-बडी चोरी की वारदातों को अंजाम देते है, चूँकि इनके गिरोह के सदस्यो के घर नेपाल बॉर्डर के समीप है तो ये लोग चोरियों की वारदतों को अंजाम देने के बाद छिपने व चोरी का माल बेचने के लिए नेपाल चले जाते है। इनके गिरोह में इनके अलावा सचिन चौधरी व प्रमोद चौधरी निवासी इनर बारी नेपाल, संतोष आसामी नेपाल, जीतन पासवान निवासी ढैंग जिला सीतामढी बिहार, जीतन उर्फ जितेन्द्र सहनी निवासी कौरगावाँ अटमोआन थाना जीतना जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार, रोशन कुमार, राहुल पासवान, संतोष कुमार जायसवाल, रोहित कुमार पासवान, बिपत दास, राकेश, राजा व राज निवासीगण वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार का बडे-बडे घडियो/मोबाइल फोन के शोरुम मे चोरी करना व चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने का एक सगठित गिरोह है। इनके तथा इनके गिरोह के सदस्यों द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र स्थित साई क्रिएशन शोरूम के शटर के सामने चादर लगाकर शोरूम का शटर उखाडकर करोडों रूपयो की ब्राण्डेड घडियों की चोरी की गयी थी। अभियुक्त दीपक कुमार ने बताया हम लोगो का चोरी करने का एक संगठित गिरोह है, चोरी करने से पहले गिरोह को खर्चे के लिए पैसे देना और चोरी कर लाये माल को बेचने का काम दीपक व सचिन करते है, उपरोक्त घटना में चोरी की गयी घडियाँ बेचने के लिये दीपक को ही दी गयी थी जिन्हे उसने नेपाल ले जाकर बेचा था तथा उसके पास से बरामद घडी भी साई क्रिएशन शोरूम से चोरी की गई घड़ियों मे से एक है। जो उसने अपने इस्तेमाल के लिये रख ली थी। आज ये लोग फिर से इन्दिरापुरम क्षेत्र मे चोरी की ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकठ्ठा हुए थे।

इनके गिरोह का जो सदस्य रैकी करता है और सबको लाकर चोरी होने तक उनका खर्चा उठाता है उसको ज्यादा हिस्सा मिलता है। घटना करने से पहले जिस शहर में घटना करनी होती है उसके आस-पास कमरा किराये पर लेते है और मजदूरी या पुताई आदि का काम करने लगते है। धीरे-धीरे रैकी करके जब दुकान चिन्हित कर लेते हैं फिर अपने बाकी सदस्यों को बुला लेते है। घटना करने से पहले अपने मोबाइल कमरे पर ही रखकर जाते है । घटना स्थल से कुछ पहले ही सवारी छोड देते है और पैदल जाते है घटना स्थल पर पहुँचकर गैंग के कुछ सदस्य रास्ते पर आगे पीछे लग जाते है तथा कुछ सदस्य शटर के आगे चादर तान कर खडे हो जाते है और बाकी सदस्य अपने साथ लाये आला नकब से शटर उखाड देते है 2-3 लोग अन्दर घुसकर सारा सामान बैग मे डाल लेते है और फिर चोरी करके अलग-अलग होकर थोडी थोडी दूरी बनाकर काफी दूर तक पैदल जाते है फिर विपरीत दिशा की सवारी लेते है फिर आगे उतरकर पुनः सवारी बदलकर अपने किराये के कमरे पर जाकर माल का बटवारा करते है फिर अलग-अलग होकर घोडासहन व नेपाल चले जाते है। चोरी के दौरान कोड वर्ड मे बात करते है जो लोग दुकान का शटर तोडकर अन्दर जाते है उनको प्लेयर कहते है , दुकान के शटर के बाहर चादर लगाने को छप्पर लगाना कहते है तथा जो लोग बाहर सडक पर निगरानी करते है उनको फील्डर कहते है।

**<u>नाम पता/विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>**

1.दीपक कुमार पुत्र पशुपति प्रसाद निवासी वार्ड न0- 05 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतिहारी बिहार उम्र करीब 37 वर्ष (घायल)

2.सिराज मियाँ पुत्र जिकुरला मियाँ निवासी वार्ड न0- 01 वीरता चौक घोडासहन थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतिहारी बिहार उम्र करीब 47 वर्ष (घायल)

3.करन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद जयसवाल निवासी वार्ड न0- 05 जोडा मन्दिर के पास कस्वा व थाना घोडासहन जिला पूर्वी चम्पारण मोतिहारी बिहार उम्र करीब 26 वर्ष

**बरामदगी का विवरण**

1.नाजायज तमंचा 315 बोर- 02 अदद

2.खोखा कारतूस 315 बोर – 02 अदद

3.जिन्दा कारतूस 315 बोर- 02 अदद

4.नाजायज चाकू – 01 अदद

5.चोरी की घडी MOVADO BOLD- 01 अदद

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-**

1.अभियुक्त दीपक शाह के विरूद्ध बिहार में 01 व गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त सिराज मियाँ के विरुद्ध बिराह में 01, उत्तराखण्ड मे 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त करण के विरूद्ध थाना गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-**

**1.**स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

**2.**थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 05.07.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष 11 माह को अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर कहीं ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 11.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में बाल अपचारी को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की पहले से दोस्ती थी, इसके बहाने मैं वादी की पुत्री को बाहर घुमाने ले गया था और मैने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**कार्यवाही करने वाली टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।